कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19/2021 7067 दिनांकः 08 मई 2021

डीन/प्रधानाचार्य,
हिन्द एवं मेयों इंस्ट्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,
बाराबंकी।

कतिपय स्तरों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि आपके चिकित्सालय में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने के उपरान्त पोर्टल पर फैसेलिटी एलॉट न होने का कारण बताते हुए शुल्क की मॉग की जाती है।

जैसा कि आप अवगत है कि किसी भी कोविड संक्रमित मरीजों को तत्काल चिकित्सालय में भर्ती करना आपका प्रथम दायित्व है, तदोपरान्त पोर्टल पर यदि फैसेलिटी एलॉट नही है तो एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सबंधित पाजीटिव मरीज की फैसेलिटी एलॉट कराने जिम्मेदारी आपकी है न की मरीज/तामीरदार की है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे भर्ती मरीज जिनकी पोर्टल पर फैसेलिटी एलॉट नही है उनको तत्काल एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए फैसेलिटी एलॉट कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सक्रंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

D Singh 8/5/2021

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्याः कोविड–19/2020

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–ः

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
3. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
5. उप जिला अधिकारी, बाराबंकी नवाबगंज बाराबंकी
7. प्रभारी अधिकारी, एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, बाराबंकी।
8. नोडल मजिस्ट्रेट/नोडल चिकित्सा अधिकारी सबंधित कोविड चिकित्सालय।

जिलाधिकारी
बाराबंकी